कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स)

वन भवन, भोपाल E-mail--pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/2025/क्राईम/ I/383811/2025 भोपाल, दिनांक 22-07-2025
प्रति

समस्त प्रभारी अधिकारी
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स
इकाई, मध्यप्रदेश

विषयः- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रकरणों में माननीय न्यायालय में परिवाद/पूरक-परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व परीक्षण कराये जाने बावत्।
संदर्भः- इस कार्यालय का पत्र क्र/3333 दिनांक 10.06.2020 एवं पत्र क्र/765 दि. 30.07.2020 तथा एसटीएसएफ भोपाल का पत्र क्र 146 दिनांक 25.01.2019

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) के गठन का मुख्य उद्देश्य संगठित वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाना है। इस हेतु एसटीएसएफ के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर या इस कार्यालय के आदेश पर क्षेत्रीय वनमण्डल/टाइगर रिजर्व में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरण को हस्तांतरित कर इनकी विवेचना की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद/पूरक-परिवाद प्रस्तुत किया जाता/जा रहा है। समय-सीमा (आरोपी की गिरफ्तारी से 60 दिवस के भीतर) में एवं सटीक परिवाद का प्रस्तुतीकरण अपराधिक अभियोजन कार्यवाही की सफलता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सारगर्भित तथ्य व उपयोगी साक्ष्य का संकलन परिवाद में संलग्न होकर समय-सीमा में प्रस्तुतीकरण होना सुनिश्चित हो सकें। इस कार्यालय को ज्ञात जानकारी अनुसार प्रदेश व देश की प्रतिष्ठित Investigating Agency के द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व उसका परीक्षण कई स्तरों पर किया जाता है, जिस कारण भी ऐसी संस्थाओं के न्यायालयीन प्रकरणों का बढी संख्या में सफल (High Conviction Rate) होना सुनिश्चित हुआ है। एसटीएसएफ में ऐसी व्यवस्था न होने से विगत समय में एसटीएसएफ की इकाई जबलुपर एवं सागर (पूर्व इकाई) के प्रकरणों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।अत: एसटीएसएफ में परिवाद/पूरक-परिवाद के माननीय न्यायालय में प्रस्तुतीकरण के पूर्व परीक्षण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित की जाती है:-

क्र	कार्य	दिवस	विवरण
1	परिवाद/पूरक-परिवाद का परीक्षण	30 से 45 दिवस के मध्य	एसटीएसएफ मुख्यालय में बैठक (Physical/Virtual) आयोजित कर अन्य इकाईयों के कम से कम तीन अधिकारी (03 OIC/RO) व अन्य संबंधित व्यक्तियों/विधिक सलाहकार/अभियोजन अधिकारी को शामिल कर परिवाद/पूरक-परिवाद ड्राफ्ट का समय-समय पर जारी विभागीय निर्देश व अधिनियमों/नियम के अनुरूप सुक्ष्मता से परीक्षण करना।
2	परिवाद/पूरक-परिवाद का परीक्षण	55 से 58 दिवस के मध्य	एसटीएसएफ मुख्यालय में बैठक आयोजित कर बिन्दु क्रमांक 01 में शामिल व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश/सुझाव के पालन का अनुशीलन व प्रकरण में आये नवीन तथ्यों तथा शासनहित में अन्य आवश्यक निर्देश/सुझाव को शामिल कर परिवाद/पूरक-परिवाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना।

उपरोक्त बैठक आयोजन की कार्यवाही की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित विवेचना अधिकारी एवं सहायक विवेचना अधिकारी की होगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल

[redacted]क फोर्स म.प्र. मुख्यालय भोपाल
2) समस्त विवेचना अधिकारी/सहायक विवेचवना अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।